कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक- 3058/11-सी-FP/UP/Approach/13881/2015, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 25, 2025

सेवा में

उप वन महानिवेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः— कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी० 15. 150 की बायीं पटरी पर ग्राम—उखलाना के खसरा सं0—1470 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0–FP/UP/Approach/13881/2015)

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/, दिनांक-16.10.2024 महोदय.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्ता, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक–2715/14–1 दिनांक 24.04.2025 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवंश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भावदीय (ललित कुमार वर्मा) अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक/ नोडल अधिकारी জি, তিঁত্যত, লखनऊ। संख्या- 3058/11-सी FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (ललितं कुमार वर्मा) अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, जिन्छ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- **30_58**/11-सी FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि० ए-5, से०-3, नोएड।

(ललित कुमार वर्मा) अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी,

/ রতप्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक २२ १५ / १४-१(13881 / 2015) अलीगढः दिनांकः अप्रैल, २५ ,2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक⁄नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

বিষয:-- Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhlana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/ 13881/2015)-regarding.

संदर्भः–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक—8B/UP/06/34/2018 दिनांक 16.10.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ का पत्रांक—3294 / Petrolpump/13881/2015 दिनांक 29.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.10.2024 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के उक्त संदर्भित पत्र से सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्न प्रकार प्रेषित है।

S.No.	Condition	Compliance
i.	The legal status of the forest land shall remain	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	unchanged.	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र
		संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–1)
ii.	Five times penal NPV along with 12% simple interest	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	from the date of raising of such demand shall be paid	द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के आधार पर प्रयोक्ता
	by the user agency	एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में उल्लंघन की तिथि
		से 05 गुना दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु वाछित धनराशि रु० 447228.00 (रु० चार लाख सैंतालिस हजार दो सौ
		अट्ठाईस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है
		एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न
		है। (संलग्नक–2 एवं 3)
iii.	The matter regarding imposition of penal CA is under	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	consideration for the formulation of a uniform policy	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र
	guideline in the matter. Keeping this in view, the	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)
	imposition of penal CA (if any) shall be as per the	
	said guideline, if issued	
iv.	The Compensatory afforestation shall be raised by	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	the State Forest Department as per approved scheme	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र
	and as per the rules/guidelines on the matter at the	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक5)
	cost of the user agency	
v.	The User Agency shall transfer the cost of raising and	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	maintaining the compensatory afforestation, at the	द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के आधार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि
	current wage rate, to the State Forest Department. The CA scheme may include afforestation of	आमकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनमूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 154 पौधों के क्षतिपूरक
	the err seneme may menude anorestation of	क युगम जनमात कम्मूम वर 154 पाया क वातपूरक

14/d/ land transfer/ aligarh/ PROPSAL NO 13881 of 2015

~		
	indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित धनराशि रू0–336000.00 (तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–3 एवं 6)
vi.	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the guidelines given in Chapter – 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रमाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) हेतु वाछित धनराशि रू० 73,557.00 (रु० तिहत्तर हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–3 एवं 7)
vii.	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India	प्रमागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रमाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–8)
viii.	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–9)
ix.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the slopes.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रमाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–10)
х.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–11)
xi.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–12)
xii.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–13)
xiii.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural 8B/UP/06/34/2018 1/84759/2024 streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–14)
xiv.	The user agency shall carry out muck disposal at pre- designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–15)
XV.	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–16)
	the Environmental (Protection) Act; 1986	

3

15/d/ land transfer/ aligarh/ PROPSAL NO 13881 of 2015

· ·		
xvi.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र
	preferably alternate fuels to the labourers and the staff	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–17)
	working at the site so as to avoid any damage and	
	pressure on the nearby forest areas	
xvii.	The boundary of the diverted forest land shall be	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ
	demarcated on ground at the project cost, by erecting	दारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र
	four feet high reinforced cement concrete pillars,	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–18)
	each inscribed with its serial number, forward and	
	back bearing and distance from pillar to pillar	
xviii.	The forest land shall not be used for any purpose	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	other than that specified in the proposal	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है । (संलग्नक–19)
xix.	The User Agency shall ensure that because of this	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	project, no damage is caused to the wildlife available	हारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र
	in the area	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–20)
xx.	The user agency shall explore the possibility of	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	translocation of maximum number of trees identified	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र
	to be felled and shall ensure that any tree felling shall	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–21)
	be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest	
	Department	
xxi.	The cost of felling of trees shall be deposited by the	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	User Agency with the State Forest Department	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र
		संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–22)
xxii.	The layout plan of the proposal shall not be changed	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	without the prior approval of the Central Government	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र
x::iii.	The forest land proposed to be diverted shall under	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—23) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
A.m.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency,) प्रभागाय निदशक, सामाजिक वानिको प्रमाग, अलागढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र
	department or person without prior approval of the	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-24)
	Central Government	
xxiv.	The User Agency shall implement the R & R Plan, if	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	applicable, as per the R & R Policy of State	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र
	Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–25)
	Policy, Government of India before the commencement of the project work and	
	implementation. The said R & R Plan will be	
	monitored by the State Government/Regional Office	
	of MoEF&CC	
xxv.	The User Agency shall submit the annual self -	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	compliance report in respect of the above stated	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र
	conditions to the State Government, concerned	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक26)
	Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly	
xxvi.	Any other condition that the concerned Regional	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	Office of this Ministry may stipulate with the	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र
	approval of competent authority in the interest of	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–27)
	conservation, protection and development of forests	
	& wildlife	
xxvii.	The State Government, before issuing the final	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	diversion order, shall ensure that the user agency has	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र
	complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–28)
	(s) and NGT Order (s), including compliance of	
	Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for	
	the time being in force, as applicable to the project	

16/d/ land transfer/ aligarh/ PROPSAL NO 13881 of 2015

. (

xxviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023 । स्टिंस पोटेल पर अपलोड ।	हारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में यचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–29)
---------	---	--

भवदीय

(भीमें सेन) अपर प्रधान मुख्य वर्ष सरंक्षक, प्रभारी वन संरक्षक, ूअलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

- <u>मत्रांक २२ \5 /14-1, दिनांकित।</u> प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1. डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लिं० (पूर्व में एस्सार ऑयल लिं०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ०प्र०) को सूचनार्थ प्रेषित। 2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.32

8 (भीग सेन) अपर प्रधान मुख्य यन संरक्षक, प्रभारी वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

17/d/ land transfer/ aligarh/ PROPSAL NO 13881 of 2015